FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

..... रामलाल ..... बनाम ..... अतिराम .....

किस्म मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र ..... नं. ..... 207 ..... सन् 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
19-1-21	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पेश है। प्रकरण पूर्व ... अनुसार, दिनांक 2-2-22 को पेश हो।
02.02.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेशों व तलबी हेतु वर्ष 2011 से [illegible] 38 अवसरों के बावजूद भी अप्रार्थीगण की [illegible] तलबाना आज दिनांक तक भी पेश नहीं किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 सीपीसी की सहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.07 11:06:14 IST
Reason: SelfAttested